(iv) निर्यात योग्य अन्य मदों के कल्चर उत्पादन का विकास करना;

(v) नई प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन आरम्भ करना ;

(vi) प्रोसेसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी में सुधार लाना तथा अपशिष्ट में कमी लाना।

**पंजाब में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कदम**

*214. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्टेप्स टू रिक्लेम पंजाब वेस्टलेंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है अनेक कारणों से पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में कृषि भूमि परती पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) जी, हां। समाचार में उल्लिखित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1986-87 में 40,000 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र, अकृषित रहा, वर्ष 1987-88 में ऐसी भूमि 39,000 हैक्टेयर और वर्ष 1988-89 में 32,000 हैक्टेयर थी।

(घ) और (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

**उच्चतम न्यायालय में मृत्यु दंड के विरोध में लंबित मामले**

*215. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मृत्यु-दंड के विरोध में कितने मामले लंबित थे;

(ख) वर्ष 1990 और 31 अगस्त, 1991 तक कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई; और

(ग) क्या सरकार "मृत्यु दंड" को समाप्त करने का विचार रखती है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)** : (क) 31 अगस्त, 1991 को मृत्यु-दंड के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 8 थी।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1990 में और 31 अगस्त, 1991 तक 3 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।